POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.10.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 3/4.10.2025 की रात्रि में थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत नितिन कुमार पुत्र राजेद्र कुमार निवासी यतेन्द्र कालोनी अपोजिट रक्षा अड़ेला सोसायटी गौर सिटी-2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर अपने साथी कौशल मिश्रा व धीरज थापा के साथ गोपाल जी ढाबा गौर सिटी-2 से खाना खाने के लिये पैक करने के लिए बोलने लगे जिस पर ढाबा के मालिक वरुण कौशिक पुत्र श्री गोपाल कौशिक निवासी गऊशाला नदी रोड मु0नगर थाना कोतवाली जनपद मु0नगर के द्वारा देर रात्रि हो जाने के कारण खाना पैक करने के लिए मना कर दिया। जिस पर नितिन रजौरा, कौशल मिश्रा व धीरज थापा के द्वारा ढाबा के हेल्पर नीटू कश्यप पुत्र शिवलाल निवासी न्यू गोपाल नगर थाना कोतवाली जिला सहारनपुर के साथ अत्यधिक मारपीट की गई। नीटू उपरोक्त की अस्तपाल ले जाते समय मृत्यु हो गई। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री वरुण कौशिक पुत्र श्री गोपाल कौशिक की लिखित तहरीर पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 772/2025 धारा 105 ,3(5) बीएनएस बनाम नितिन रजौरा आदि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक **09.10.2025** को गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त कौशल पुत्र शंकर लाल निवासी निति खण्ड इन्द्रापुरम थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद को चार मूर्ति के पास से गिरफ्तार किया गया है।
घटना कारित करने वाले अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र राजेद्र कुमार निवासी यतेन्द्र कालोनी अपोजिट रक्षा अड़ेला सोसायटी गौर सिटी-2 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--
कौशल पुत्र शंकर लाल निवासी निति खण्ड इन्द्रापुरम थाना इन्द्रापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0 772/2025 धारा 105 ,3(5) बीएनएस थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा दिनांक **09.10.2025** को गोपनीय सूचना के आधार पर वाँछित अभियुक्त अनीश उर्फ बबलू पुत्र रमजानी निवासी ग्राम पीरनगर थाना सिम्भावली जिला हापुड को छावनी चौराहा कस्बा व थाना बाबूगढ जिला हापुड से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त अनीश उर्फ बबलू एक शातिर किस्म का वाहन चोर है जो रैकी करके अपने सहअभियुक्तो के साथ मिलकर नोएडा,ग्रेटर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाऐं कारित करता है एवं चोरी के वाहनो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाते है। अभियुक्त अनीश के सह अभियुक्तो को दिनांक 30.10.2024 को फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मु0अ0सं0 424/2024धारा 414/482 भादवि में पंजीकृत कर नयायालय के समक्ष पेश किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अनीश उर्फ बबलू पुत्र रमजानी निवासी ग्राम पीरनगर थाना सिम्भावली जिला हापुड

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 424/2025 धारा 414/482 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 43/17 धारा 380/411 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड
3. मु0अ0सं0 163/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस -2 जनपद गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 595/16 धारा 379 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

3. थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 106 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09.10.2025** को **थाना फेस-1, नोएडा पुलिस** द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए शराब तस्करी करने वाला एक अभियुक्त शिवा गुप्ता पुत्र स्व0 प्रमोद गुप्ता को हरौला, सेक्टर-05 नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 106 पव्वे कैटरीना देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद किए गए है।

अभियुक्त का विवरण-- शिवा गुप्ता पुत्र स्व0 प्रमोद गुप्ता निवासी जे0 जे0 कॉलोनी, सेक्टर-8, थाना फेस-1, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, स्थायी पता ग्राम शहजापुर थाना बस्ती नगर, जिला बस्ती (उ0प्र0), उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--
106 पव्वे केटरीना देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0स0- 0429/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना फेस-1, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

3. थाना दनकौर पुलिस व बदमाश के बीच हुयी पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

विवरण-- दिनांक **09.10.2025** को **थाना दनकौर पुलिस** द्वारा चपरगढ अण्डरपास के पास चैकिंग की जा रही थी, तभी सामने से मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको पुलिस बल द्वारा रूकने का ईशारा किया गया है लेकिन वह नहीं रूका बल्कि मोटर साइकिल मोडकर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटर साइकिल सवार का पीछा किया गया तो अपने आप को घिरता देख मोटर साइकिल सवार द्वारा मोटर साइकिल छोडकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गया। जिसकी पहचान राजा पुत्र हाकमीन निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जिला हापुड़ हाल पता ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 23 वर्ष के रूप में हुयी है। जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर , 02 कारतूस जिन्दा .315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 249/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना धौलाना हापुड़ ।
2. मु0अ0सं0 250/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना धौलाना हापुड़ ।
3. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना धौलाना हापुड़ ।